



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38 ]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2004/फाल्गुन 7, 1925

No. 38 ]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2004/PHALGUNA 7, 1925

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2004

सं. एफ. 37-3/लीगल/2004—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (ज) तथा उपधारा (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभातशिप विनियम सं. एफ. 37-3(ii)/लीगल/अभातशिप, जो 31 मार्च, 2001 के राजपत्र में अधिसूचित हुए थे तथा विनियम सं. 26-7/लीगल/2002 दिनांक 24 अप्रैल, 2002, जो 29 अप्रैल, 2002 के राजपत्र में अधिसूचित हुए थे, का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में अधिसंख्य कोटा के अधीन प्रवेश) विनियम, 2004 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता :

ये विनियम अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं :

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) भारतीय मूल के व्यक्तियों से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो अन्य देशों (पाकिस्तान एवं बंगलादेश को छोड़कर) के नागरिक हैं तथा जिनके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो, अथवा जो भारत में अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए विनियम, 2004 के अंतर्गत प्रवेश करने वाले हों।

114

-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2004/फाल्गुन 7, 1925

No. 38 ]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2004/PHALGUNA 7, 1925

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2004

सं. एफ. 37-3/लीगल/2004—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (ज) तथा उपधारा (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभातशिप विनियम सं. एफ. 37-3(ii)/लीगल/अभातशिप, जो 31 मार्च, 2001 के राजपत्र में अधिसूचित हुए थे तथा विनियम सं. 26-7/लीगल/2002 दिनांक 24 अप्रैल, 2002, जो 29 अप्रैल, 2002 के राजपत्र में अधिसूचित हुए थे, का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (विदेशी राष्ट्रिकों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में अधिसंख्य कोटा के अधीन प्रवेश) विनियम, 2004 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता :

ये विनियम अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं :

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) भारतीय मूल के व्यक्तियों से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो अन्य देशों (पाकिस्तान एवं बंगलादेश को छोड़कर) के नागरिक हैं तथा जिनके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो अथवा जो कदाचित् भारतीय नागरिक रहे हों।

पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत के संविधान के उपबंधों अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का संख्यांक 57) की धारा 2 (ख) के फलस्वरूप भारत के नागरिक रहे हों ।

(ख) विदेशी राष्ट्रिकों से भारत को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक अभिप्रेत हैं, जो भारतीय मूल के नहीं हैं जैसाकि भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधीन परिभाषित किया गया है ।

(ग) विदेशी छात्र से, इस संदर्भ में, ऐसा छात्र अभिप्रेत है जो विदेशी पासपोर्ट धारण करता है ।

परंतु यह कि परिभाषा में पश्चातवर्ती परिवर्तनों, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे, का वही नवीनतम अर्थ होगा जो उनके लिए क्रमशः नियत किया जाएगा । जिन अन्य पदों को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ हो जैसा कि भारत सरकार की किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना में नियत किया जाएगा ।

#### 4. प्रवेश :

(क) विदेशी राष्ट्रिक/भारतीय मूल के व्यक्ति/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालक

इन विनियमों के अंतर्गत तकनीकी पाठ्यक्रम जिनके परिणामस्वरूप इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला एवं नगर आयोजना, भेषजी, अनुप्रयुक्त कला, एमवीए एवं एमसीए, होटल प्रबंध एवं खानपान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाती हो, संचालित करने वाली अभातशिप अनुमोदित सभी संस्थाओं/ विश्वविद्यालय विभागों में अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक एवं ऊपर पन्द्रह प्रतिशत (15%) सीटें विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए अधिसंख्य आधार पर अनुमत होंगी, परंतु यह कि 15% का एक तिहाई भाग शैक्षणिक संस्था में विभिन्न विषयक्षेत्रों में खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए आरक्षित होगा । तथापि, एक तिहाई श्रेणी में से किसी भी रिक्त सीट को भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी राष्ट्रिकों के लिए आशयित दो तिहाई कोटे में प्रतिवर्तित किया जा सकेगा ।

यह आवेदक संस्थाओं में पर्याप्त अवसरचरणात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के अधधीन है जिसे अभातशिप द्वारा उसके सन्निधियों एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा । ये अधिसंख्य सीटें डिप्लोमा, स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनन्य रूप से छात्रों की इन्ही श्रेणियों के लिए इस उपरिका के साथ होंगी कि किसी भी परिस्थिति में रिक्त रह गई कोई भी सीट विदेशी छात्र /भारतीय मूल के व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य को आवंटित नहीं की जाएगी । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के माध्यम से अथवा भारत सरकार के नामिती के रूप में अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/खाड़ी देश में भारतीय कर्मकारों के बालकों को इस 15 प्रतिशत की सीमा में शामिल किया जाएगा ।

## (ख) दिशा-निर्देश

निम्नलिखित मानदण्ड की पूर्ति करने वाली संस्थाएं इन विनियमों के अधीन छात्रों के प्रवेश देने के लिए अभातशिप के अनुमोदन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगी :-

- (1) संस्था विदेशी छात्रों/भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के धालकों को उपयुक्त छात्रावास/रिहायशी आवास उपलब्ध कराने में समर्थ होनी चाहिए ।
- (2) उस संबंधित विषयक्षेत्र में, जहां विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाना है, शिक्षक-छात्र अनुपात 1:15 से कम नहीं होना चाहिए ।
- (3) संस्था के पास मल्टीमीडिया सुविधाओं के साथ अभातशिप के सन्नियमों एवं मानकों के अनुसार एक आधुनिक पुस्तकालय होना चाहिए ।
- (4) संस्था का कुल प्लिंथ क्षेत्रफल (छात्रावास तथा रिहायशी क्षेत्र को निकालकर) प्रति छात्र 12.5 वर्गमी. से कम नहीं होना चाहिए ।
- (5) संस्था तथा इसके छात्रावास के लिए समुचित संपर्क सड़क, अच्छा पर्यावरण, पर्याप्त जलापूर्ति तथा विजली की सामान्य आपूर्ति की अनुपस्थिति में जनरेटरों की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (6) संबंधित संस्थाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान असंतोषजनक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के कारण 'नो एडमीशन' अथवा 'रिड्यूज्ड इंटेक' के अंतर्गत नहीं रखा गया हो ।
- (7) संस्था अभातशिप के अनुमोदन के पश्चात् कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक कार्य कर रही हो ।
- (8) अंतिम वर्ष के छात्रों के पिछले दो बैचों का परिणाम (सफलता दर) 75 प्रतिशत से कम न हो, जिसे अंतिम परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के आधार पर आकलित किया गया हो ।

अभातशिप इस अधिसंख्य श्रेणी के अंतर्गत छात्रों को प्रवेश दिए जाने के लिए उपयुक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में, जहां आवश्यक हो, एक निरीक्षण दल के माध्यम से स्वयं को संतुष्ट करेगी । इस प्रयोजन के लिए, उपर्युक्त मानदण्डों की पूर्ति करने वाली संस्थाएं विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के पात्र संस्थाओं की सूची के अंतर्गत संस्थाओं को सम्मिलित करने के लिए स्टेटस रिपोर्ट के साथ अभातशिप को लिखित अनुरोध कर सकती हैं । अभातशिप स्टेटस रिपोर्ट तथा निरीक्षण दल की रिपोर्ट की जांच करेगी तथा केवल उन्हीं संस्थाओं को शामिल करेगी जो उपर्युक्त मानदण्डों की पूर्ति करती हों । तत्पश्चात्, अभातशिप प्रवेश के प्रयोजनार्थ ऐसी संस्थाओं की सूची संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी को भेजेगी ।

- (ग) इन विनियमों के अंतर्गत प्रवेश विदेशी राष्ट्रिकों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों में से मेरिट के आधार पर किए जाएंगे।

## 5. फीस

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों के लिए शिक्षण तथा अन्य फीस को अधिसूचित करेगा। इसमें किसी प्रकार की अनिवार्य फीस नहीं होगी। खाड़ी देशों में भारतीय कर्मचारों के बालकों को निवासी नागरिकों के समतुल्य समझा जाएगा।

प्रो. के. सुब्रमण्यम, सलाहकार (प्रशासन)

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/162/03]

## ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2004

**No. F. 37-3/Legal/2004.**—In exercise of the powers conferred by Sub section (j) and Sub-section (o) of Section 10 read with sub-section (1) of Section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No. 52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, in supersession of AICTE Regulations No. F. 37-3(ii)/Legal.AICTE, which was notified in Official Gazette on March 31, 2001 and the Regulation No. 26-7/Legal/2002, dated April 24, 2002, notified in the Official Gazette on April 29, 2002.

### 1. Short title and commencement -

- (i) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (admission under supernumerary quota for Foreign Nationals/ Persons of Indian Origin (PIOs)/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries, in AICTE approved Institutions) Regulations, 2004.
- (ii) These shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

### 2. Applicability -

These regulations shall be applicable to the Foreign Nationals/ Persons of India Origin (PIOs) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries seeking admission to AICTE approved Institutions.

### 3. Definitions

Unless the context otherwise requires;

- (a) **Persons of Indian Origin (PIO) :-** shall mean the Persons who are citizens of other countries (except Pakistan and Bangladesh) who at any time held an Indian Passport, or who or either of his parents or any of his grand parents was a citizen of India by virtue of the provisions of the Constitution of India or Sec 2 (b) of Citizenship Act, 1955 ( Act No. 57 of 1955).

- (b) **Foreign Nationals** : Shall mean the citizens of all countries other than India, who are not of Indian origin as defined under PIO.
- (c) **Foreign Student** : Shall mean, in this context, as the student who possesses a foreign passport.

provided that any subsequent changes in the definition as may be notified by the Government of India shall have the same latest meaning respectively assigned to them. The other expressions not defined herein shall have the meaning as may be assigned in any subsequent notification of Government of India.

#### 4. Admission:

- (a) **Foreign Nationals / PIOs/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries.**

Under these Regulations fifteen percent (15%) seats in all the institutions / University Departments, approved by AICTE, offering technical courses leading to Diploma, Degree and Post- Graduate Degree in Engineering & Technology, Architecture & Town Planning, Pharmacy, Applied Arts, MBA & MCA, Hotel Management & Catering Technology, shall be allowed on supernumerary basis from amongst Foreign Nationals / Persons of Indian Origin (PIOs) / Children of Indian Workers in the Gulf Countries, over and above the approved intake, provided that 1/3<sup>rd</sup> of the 15% shall be reserved across different disciplines in the educational institution, for the Children of Indian Workers in the Gulf Countries. However, any vacant seats out of 1/3<sup>rd</sup> category shall be reverted to the quota of 2/3<sup>rd</sup> meant for PIO / Foreign Nationals.

This is subject to the availability of adequate infrastructural facilities in the applicant institutions, to be verified by AICTE, based on its Norms and Guidelines. These supernumerary seats shall be exclusively meant for these category of students in the diploma, under-graduate and post-graduate courses with a rider that under no circumstances a seat remains unfilled shall be allocated to any one other than a foreign student / PIO. Foreign Nationals / Persons of Indian Origin (PIOs)/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries admitted in an AICTE approved institutions through Indian Council for Cultural Relations (ICCR) or as Government of India nominee shall be included within this 15% ceiling.

**(b) Guidelines**

The institutions fulfilling the following criteria shall be eligible to apply for approval of AICTE for admitting students under these Regulations:-

- (1) The Institutions should be able to provide suitable hostels/ residential accommodation to the Foreign Students/ Persons of Indian Origin (PIOs) and the Children of Indian Workers in the Gulf Countries.
- (2) The teacher-student ratio in the respective discipline where Foreign Nationals / Persons of Indian Origin are to be admitted should not be less than 1:15.
- (3) The institutions must have a modern library as per norms & standards of AICTE with multi media facilities.
- (4) The total plinth area of the institution (excluding hostels and residential areas) is not less than 12.5 sq. mtrs. per student.
- (5) The Institution and it's hostels must have proper approach road, good environment, sufficient water supply and an arrangement for generators in absence of normal supply of electricity.
- (6) The concerned institutions must not have been put under "No Admission" or "Reduced Intake" category by AICTE due to poor infrastructural facilities during the past 3 years.
- (7) The institution must have been functioning at least for a period of 5 years after AICTE's approval.
- (8) The results (success rate) of last two batches of final year students must not be less than 75%, calculated based on number of students appeared in the final examination, vis-à-vis the students passed.

The AICTE shall satisfy itself the availability of Infrastructural facilities suitable for admitting students under this supernumerary category, through an inspection team, wherever necessary. For this purpose, the institutions meeting the above criteria, may submit Status Report alongwith written request to AICTE for inclusion of the institutions under the list of eligible institutions for admission of Foreign Nationals /PIOs/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries. The AICTE shall examine the Status Reports and the Report of inspection team and will include only those institutions fulfilling all the above criteria. The AICTE

shall subsequently communicate the list of such institutions to the competent authority, in the respective State Government / UT, for admission.

- (c) The admission under these Regulations shall be made on merit amongst the applicants under the Foreign National and PIO Category.

#### 5. Fees

The concerned State Government / UT shall notify the tuition and other fees for candidates to be admitted under Foreign National / Persons of Indian Origin (PIOs) Category. There shall be no NRI fees. The Children of Indian Workers in the Gulf Countries shall be treated at par with resident citizens.

PROF. K. SUBRAMANIAN, ADVISER (Administration)

[ADVT-3/4/EXTRAORDINARY/162/03]